भारत सरकार BHARAT SARKAR
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 2014/RS(G)/779/13 **New Delhi, dated: 14.05.2015**

The General Manager, All Indian Railways/PUs, NF(C), CORE
The DG/RDSO/Lucknow & NAIR/Vadodara
CAOs, DMW/Patiala, WPO/Patna, COFMOW/NDLS, RCF/RBL/NDLS

Sub: Drug Procurement Policy – clarification regarding supply of sub-standard drugs.

A. The Drug Procurement Policy 2014 envisages supply of a salt (indigenously manufactured) from a manufacturing unit (MU) directly as a supplier or from a marketing unit + a manufacturing unit (MMU) wherein a marketing unit supplies the salt manufactured by another manufacturing unit.

For all supplies made by MU/MMU, the process as indicated below will be followed in case sub standard salts are discovered during usage in a railway hospital.

B.I In line with IRS Conditions of Contract clause 3204, the decision of the ZR/PU "A" about the salt being sub-standard will be final and binding on the MU/MMU.

II. i The supply of a salt by a MU /MMU if found sub-standard during usage will be stopped forthwith in all Zonal Railway/PU. However, supply of other salt(s) from that MU/MMU will continue.

II. ii Information about the same will be sent by the ZR/PU "A" to all ZR/PU, DG/RHS and also to the State Drug Controller in which the manufacturing unit of the salt falls.

II. iii It will thereafter be the responsibility of the MU/MMU to take clearance from State Drug Controller. The MU/MMU will then inform the CMD/CMS of the ZR/PU "A" about the clearance from CMO/States Drug Controller. Thereafter, a inspection team of the ZR/PU "A", {constituted as per Para 1.3.2 of Part I(B) of the Drug Procurement Policy 2014} will inspect the manufacturing unit of the MU/MMU. Only on receipt of satisfactory report of the railway inspection team, the supply of the salt (which was found sub-standard during usage) can re-commence. For this, the CMD/CMS of the ZR/PU "A" will be required to inform all ZR/PU and DG/RHS about the clearance of MU/MMU by the inspection team. Then only the supply of the salt by the MU/MMU will recommence.

III. Two such instances of rejection of a particular salt (on all India basis) during usage will be permitted.

III. i If there are more than two such instances of a particular salt (on all India basis) from a MU/MMU being found sub-standard during usage, no further order of any salt will be placed on MU/MMU by any railway units till the expiry of its 3 years period of approval by DG/RHS.

III. ii Also, if there are more than two such instances of a particular salt (on all India basis) from a MU/MMU being found sub-standard during usage, no further tender enquiry will be issued to that MU/MMU for any salt by any railway hospital till the expiry of 3 years period of approval by DG/RHS.

Santosh Mittal

Example - If the MU/MMU was approved by DG/RHS in June 2010 and the third instance (on an all India basis) of being found sub-standard during usage were reported by October 2012 then no order would be placed by any railway hospital for any salt on that MU/MMU after Oct., 2012 to May, 2013 nor can the MU/MMU be given any tender enquiry by any railway hospital after Oct., 2012 till May 2013 for any salt.

After May 2013, the MU/MMU will have to apply for a fresh approval in line with the procedure as suggested at Part 1(A) of Drug Procurement Policy 2014 for all salt as the firm "A" has essentially lost its approval status.

III. iii Outstanding orders already placed on that MU/MMU (after the 3rd instances of sub-standard salt during usage), will be required to be cancelled.

C. Para "B" will be incorporated in the tender enquiry as bid condition. Para "B" will also be inserted as clause 3.1 in the terms and conditions of PO. Para A to Para B will be inserted as clause 1.6.5 in Pt. I of Drug Procurement Policy, 2014.

This is issued with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

No. 2014/RS(G)/779/13 **New Delhi, dated: 14.05.2015**

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW
3. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
4. The Director of Audit, All Indian Railways

for Financial Commissioner / Railways

No. 2014/RS(G)/779/13 **New Delhi, dated: 14.05.2015**

1. COSs, CMEs, CEEs, CSTEs, All Indian Railways & PUs, RCF/RBL/NDLS, COFMOW, CORE, WPO and RWP/Bela
2. The Directors–
   a. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
   b. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
   c. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
   d. Sr. Prof. (Material Management), NAIR, Vadodara
   e. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
   f. Indian Railway Institute of Traffic Management, Lucknow
3. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
4. Executive Director (Stores), RDSO, Lucknow
5. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
6. Zonal Railway Training Institute, Sukadia Circle, Udaipur

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I

Railway Board

No. 2014/RS(G)/779/13 **New Delhi, dated: 14.05.2015**

Copy to :

1. The Genl. Secy., AIRF, Room No. 248, & NFIR Room No. 256-C, Rail Bhavan
2. The Secy. Genl., IRPOF, Room No. 268, FROA, Room No. 256-D & AIRPFA, Room No. 256-D Rail Bhavan

Santosh Mittal

(Santosh Mittal)
Dy. Dir. Rly. Stores(G)-I
Railway Board

Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to :

1. MR, MOS(R)
2. CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
3. All AMs, Advisors & Executive Directors of Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13 **नई दिल्ली, दिनांक 14.05.2015**

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें/उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (निर्माण), कोर
महानिदेशक/आरडीएसओ/लखनऊ और एनएआईआर/वडोदरा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, डीएमडब्ल्यू/पटियाला, डब्ल्यूपीओ/पटना, कॉफमो/नई दिल्ली,
आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली

विषय: औषधि खरीद नीति - घटिया किस्म की औषधियों की आपूर्ति के संबंध में स्पष्टीकरण।

क. औषधि खरीद नीति 2014 में सीधे आपूर्तिकर्ता के रूप में किसी निर्माण यूनिट (एमयू) से या मार्केटिंग यूनिट एवं निर्माण यूनिट (एमएमयू) से सॉल्ट (स्वदेश में निर्मित) की आपूर्ति करने पर विचार किया गया है जिसमें कोई मार्केटिंग यूनिट दूसरी निर्माण इकाई द्वारा निर्मित सॉल्ट की आपूर्ति करती है।

एमयू/एमएमयू द्वारा की गई सभी आपूर्ति के लिए, यदि रेलवे अस्पतालों में उपयोग किए जाने के दौरान घटिया किस्म का सॉल्ट पाया गया तो नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

ख.I संविदा खण्ड 3204 के आईआरएस शर्तों के अनुसार, घटिया किस्म के सॉल्ट के बारे में एमयू/एमएमयू के संबंध में जेडआर/पीयू "ए" का निर्णय एमयू/एमएमयू के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

II. I यदि किसी एमयू/एमएमयू द्वारा आपूर्ति किया गया सॉल्ट उपयोग किए जाने के दौरान घटिया किस्म का पाया जाता है तो सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई में उसका प्रयोग तत्काल बन्द कर दिया जाएगा। बहरहाल, उस एमयू/एमएमयू से अन्य सॉल्ट की आपूर्ति जारी रहेगी।

II.ii इसके बारे में जानकारी जेआर/पीयू "ए" द्वारा सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों, महानिदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवा और उस राज्य औषधि नियंत्रक को भी भेजी जाएगी जिसमें सॉल्ट की विनिर्माण इकाई आती है।

II.iii तत्पश्चात्, राज्य औषधि नियंत्रक से क्लीयरेंस लेने की जिम्मेवारी एमयू/एमएमयू की होगी। उसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी/राज्य औषधि नियंत्रक से क्लीयरेंस के बारे में एमयू/एमएमयू क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई "ए" के सीएमडी/सीएमएस को सूचित करेगा। उसके बाद, क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई "ए" का एक निरीक्षण दल {औषधि खरीद नीति, 2014 के भाग I (ख) के पैरा 1.3.2 के अनुसार गठित} एमयू/एमएमयू के निर्माण इकाई का निरीक्षण करेगा। रेलवे निरीक्षण दल से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही सॉल्ट (जो उपयोग किए जाने के दौरान घटिया किस्म का पाया गया था) की आपूर्ति पुन: आरंभ की जा सकती है। इसके लिए, क्षेत्रीय रेलवे/उत्पाइन इकाई "ए" के सीएमडी/सीएमएस से अपेक्षित होगा कि वे निरीक्षण दल द्वारा एमयू/एमएमयू के क्लीयरेंस के बारे में सभी क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई और महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा को सूचित करें। उसके बाद ही एमयू/एमएमयू द्वारा सॉल्ट की आपूर्ति पुन: आरंभ होगी।

संतोष मित्तल अशोक

III. उपयोग किए जाने के दौरान किसी सॉल्ट विशेष को अस्वीकृत करने की ऐसी दो घटनाओं को ही अनुमति दी जाएगी।

III. i यदि उपयोग किए जाने के दौरान किसी एमयू/एमएमयू से आपूर्ति किए गए किसी सॉल्ट विशेष के घटिया किस्म के होने की घटना दो से अधिक पाई जाती है तो महानिदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवा के अनुमोदन के 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक किसी भी सॉल्ट के लिए किसी भी रेलवे द्वारा उस एमयू/एमएमयू को आगे आदेश नहीं दिया जाएगा।

III. ii इसके अलावा, यदि उपयोग किए जाने के दौरान किसी एमयू/एमएमयू से आपूर्ति किए गए किसी सॉल्ट विशेष के घटिया किस्म होने की घटना दो से अधिक पाई जाती है तो महानिदेशक/रेलवे स्वास्थ्य सेवा के अनुमोदन के 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक किसी भी रेलवे अस्पताल द्वारा किसी भी सॉल्ट के लिए उस एमयू/एमएमयू को निविदा के बारे में आगे कोई जानकारी नहीं दी जाएगी।

उदाहरण - यदि महानिदेशक/रेल स्वास्थ्य सेवा द्वारा जून, 2010 में एमयू/एमएमयू को अनुमोदन दिया गया है और उपयोग किए जाने के दौरान घटिया किस्म पाए जाने के संबंध में तीसरी घटना की सूचना (अखिल भारतीय आधार पर) अक्टूबर, 2012 में दी जाती है तो किसी रेलवे अस्पताल द्वारा उस एमयू/एमएमयू को किसी सॉल्ट के लिए अक्टूबर, 2012 से मई 2013 तक कोई आदेश नहीं दिया जाएगा और न ही अक्टूबर, 2012 से मई 2013 तक उस एमयू/एमएमयू को किसी रेलवे अस्पताल द्वारा किसी सॉल्ट के लिए किसी निविदा के बारे में जानकारी दी जाएगी।

मई, 2013 के बाद, औषधि खरीद नीति, 2014 के भाग 1(क) में सुझाई गई प्रकिया के अनुसार, उस एमयू/एमएमयू को सभी प्रकार के सॉल्टों के लिए नया अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, क्योंकि फर्म "ए" का अनुमोदित दर्जा निश्चित रूप से समाप्त हो चुका है।

III. iii उस एमयू/एमएमयू को पहले से दिए गए बकाए आदेशों को (उपयोग किए जाने के दौरान घटिया किस्म के सॉल्ट की तीसरी घटना के बाद) रद्द करना अपेक्षित होगा।

ग. निविदा से संबंधित जानकारी में पैरा "ख" को बिड शर्त के रूप में शामिल किया जाएगा। खरीद आदेश की निबंधन एवं शर्तों में पैरा "ख" को खण्ड 3.1 के रूप में भी जोड़ा जाएगा। औषधि खरीद नीति, 2014 के भाग-I में पैरा "क" से पैरा "ख" तक को खण्ड 1.6.5 के रूप में जोड़ा जाएगा।

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक, रेल भण्डार(सा.)-I
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13 नई दिल्ली, दिनांक 14.05.2015

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू
3. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
4. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13 नई दिल्ली, दिनांक 14.05.2015

1. सीओएस, सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, आरसीएफ/आरबीएल/नई दिल्ली, कॉफमो, कोर, डब्ल्यूपीओ और आरडब्ल्यूपी/बेला।
2. निदेशक:-
   - क. भारतीय रेल सिगनल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिकंदराबाद।
   - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिज़ली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
   - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक।
   - घ. वरिष्ठ प्रो. (सामग्री प्रबंधन), भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी, वडोदरा।
   - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
   - च. भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, लखनऊ।
3. निदेशक, लौह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
4. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., लखनऊ।
5. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुकाडिया सर्कल, उदयपुर।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड

सं. 2014/आरएस(जी)/779/13 नई दिल्ली, दिनांक 14.05.2015

1. जनरल सेक्रेटरी, एआईआरफ, कमरा नं. 248, एवं एनएफआईआर, कमरा नं. 256-सी, रेल भवन।
2. सेक्रेटरी जनरल, इरपोफ, कमरा नं. 268, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी और एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)
उप निदेशक रेलवे भंडार (सा.)।
रेलवे बोर्ड